

कार्यालय नगर परिषद, भिवाड़ी अलवर (राजस्थान)

क्रमांक - सा0प्रशा0/2016/ 7468

दिनांक - 15.06.2016

कार्यालय-आदेश

बाढ नियंत्रण हेतु बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना तुरन्त प्रभाव से की जाती हैं। नियंत्रण कक्ष परिषद कार्यालय के निर्माण कक्ष में स्थापित किया जाता नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 01493204027 हैं। नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे संचालित रहेगा। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद भिवाड़ी होंगे। इनका दूरभाष नम्बर 9887309101 हैं।

1. शहर को 2 भागों में बांटा जाकर निम्न प्रकार प्रभारी अधिकारी लगाये जाते हैं।

भाग	स्थान विवरण	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
प्रथम भाग	वार्ड नंबर 1 से 23	सुश्री अपूर्वा शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक प्रभारी	9024472306
द्वितीय भाग	वार्ड नंबर 24 से 45	श्री नवीन कुमार मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक प्रभारी	8739949456

उपरोक्त सभी अधिकारियों सफाई प्रभारी नगर परिषद के सहयोग से अपना कार्य पूर्ण करें। सहयोग के लिए 9 ट्रेक्टर, 1 जे.सी.बी., 1 फायर रेस्क्यू गाड़ी, 2 मडपम्प एवं सफाई के औजार आदि संसाधन उपलब्ध होंगे।

1. आपदा के समय श्रमिकों की व्यवस्था सफाई प्रभारी करेंगे।
2. प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष निम्न सामग्री सदैव तैयार रखेंगे।
3. रस्से, टार्च, बल्लीयाँ, ट्यूब गैती, फावडे, पंजा, हथोडे, 500कट्टे मिट्टी से भरे हुये तैयार रखेंगे। एवं ड्रेग्स लाईट, ट्यूब, गैस मास्क खरीद किये जावें। उक्त सामान स्टोरकीपर द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. 200 लीटर डीजल सदैव मोटर गैराज शाखा में रखा जावे। ऑयल आवश्यकतानुसार रखा जावें प्रभारी स्टोर शाखा।
5. परिषद में जो सामान उपलब्ध हैं, उसे व्यवस्थित कर लेवें तथा जो उपलब्ध नहीं हैं उनकी निविदाएं आमंत्रित करलें, ताकि आवश्यकता पडने पर उपलब्ध हो सकें स्टोर कीपर व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।
6. प्रायः देखा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा केबल डालने, पाईप लाईन डालने, सीवर लाईन डालने आदि कार्य चलता रहता हैं। उसकी मरम्मत का कार्य काफी विलम्ब से भी नहीं हो पाता हैं। जिसके कारण वर्षा काल के समय ऐसे स्थानों पर पानी के इकट्ठा होने तथा भारी कटाव होने की संभावना रहती हैं। कनिष्ठ अभियन्ता स्थानों का चिन्हीकरण कर मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. शहर में जिन नालों पर पटाव तोडे गये हैं उनकी जानकारी कर पटाव डलवाने वालों पर पटाव डलवाने की कार्यवाही हेतु नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। नाले जो प्रवाह बन्द है चिन्हित करें। कनिष्ठ अभियन्ता/ सफाई प्रभारी।
8. यदि प्राकृतिक बहाव के स्थलों पर कोई अतिक्रमण हो गया हो तो उन्हें तुरन्त हटा दिया जावें, ताकि पानी की निकासी में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हों। सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/अतिक्रमण प्रभारी/ सफाई प्रभारी चिन्हीकरण कर अतिक्रमण हटाया जावे।
9. वर्षा काल के दौरान आम रास्तो नालों/नालियों में किसी भी प्रकार गंदगी या अवरोध न रहे, ताकि पानी का निकास सुगमता से हो सकें। सफाई प्रभारी उक्त कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।
10. अतिवृष्टि के दौरान जिन-जिन स्थानों परपानी जमा हो जाता हैं व यातायात ठप्प हो जाता हैं। उन स्थलों को पूर्व में चिन्हित कर वहाँ के निवासियों को प्रचार के माध्यम से अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे दी जावें तथा उन्हें बिना समय गवायें सुरक्षित स्थलों पर पहुँचाने हेतु वाहन आदि की

समुचित व्यवस्था की जावें। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निचले क्षेत्र के आस-पास के सार्वजनिक स्थलों, महाविद्यालयों, स्कूलों, पक्की धर्मशालाओं, सामुदायिक केन्द्रों आदि में रूकवाने का प्रबन्ध किया जावें। कनिष्ठ अभियंता/सफाई प्रभारी उक्त स्थानों का चिन्हीकरण कर सूची तैयार कर सूची नियंत्रण कक्ष में भिजवाई जावे।

11. पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट आदि के कट्टे मिट्टी से भर कर तैयार रखें जावें, ताकि आवश्यकता पडने पर उनका पानी के कटाव के स्थानों पर तुरन्त उपयोग किया जा सकें। सफाई प्रभारी/स्टोरकीपर उक्त व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।
12. तत्काल मरम्मत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये कुछ सीमेन्ट, रोडी, बजरी रबिश, टी.एण्ड पी. भी कार्यालय में सुरक्षित रखा जावें। कनिष्ठ अभियंता द्वारा उक्त व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।
13. बाढ के कारण सडक व रास्तों में कटाव व मिट्टी जमा होने से अवरुद्ध मार्गों की सफाई व मरम्मत की व्यवस्था पहले से ही रखी जावें। कनिष्ठ अभियंता/सफाई प्रभारी उक्त व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।
14. बाढ से निचले स्थलों के क्षेत्रों में जहाँ पानी भरने की सम्भावना रहती है वहाँ पानी की निकासी के लिये समुचित मात्रा में पम्प सैट आदि पहले से ही तैयार रखे जावें। एवं पानी भरने के मुख्य कारण कनिष्ठ अभियंता/सफाई प्रभारी /प्रभारी मोटर गैराज उक्त व्यवस्था करे।
15. बाजारों में सडी-गली सब्जियों, मिठाई, मॉस आदि का विक्रय न हो तथा आवारा पशुओं को पकडा जावें तथा मृत मवेशियों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था भी की जावें। सफाई प्रभारी/ प्रभारी पशु पकड गैंग उक्त व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।
16. मवेशियों के लिये सुरक्षित स्थानों एवं उँचे स्थानों का आकलन चिन्हीकरण पहले से ही कर लिया जावें। सफाई प्रभारी चिन्हीकरण कर सूची नियंत्रण कक्ष में प्रस्तुत करे।
17. बाढ व अतिवृष्टि से बचाव हेतु राहत के लिए टोलिया, स्वयं सेवी संस्थाओं का प्रबन्ध कर लिया जावें, ताकि न्यूनतम समय में उपयुक्त सहायता उपलब्ध हो सकें। सफाई प्रभारी/सहायक अग्निशमन अधिकारी उक्त व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे।
18. तैराकों एवं नाविकों की सूची तथा उनके संपर्क हेतु टेलिफोन नं० इत्यादि के सूची तैयार रखें। प्रभारी सामान्य प्रशासन /सहायक अग्निशमन अधिकारी उक्त सूची समय से पूर्व तैयार कर नियंत्रण कक्ष में प्रस्तुत करे।
19. आकस्मिक अग्नि काण्ड हेतु अग्निशमन वाहन तथा करंट से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने हेतु अन्य आवश्यक उपकरण एवं स्टाप को तैयार रखा जावे। सहायक अग्निशमन अधिकारी
20. सफाई कार्य में लगे हुये ठेकेदारों का नाम, दूरभाष नं०, एवं पता क्षेत्र में सहज दृश्य स्थलों पर आम जन की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जावे एवं सूचि नियंत्रण कक्ष में भी उपलब्ध कराई जावें। उक्त कार्य सफाई प्रभारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करे।
21. विधुत शाखा प्रभारी (एस.के.) एवं एल.ई.डी. प्रभारी (सुश्री अपूर्वा शर्मा) यह भी सुनिश्चित करें की विधुत के पोलो एवं डिवाइडरों पर नंगे विधुत तार नहीं हो सभी कट पर टेपिंग कार्य किया हुआ हो।

उपलब्ध मैन पावर के नाम एवं पते संलग्न सूची निम्न प्रकार उपलब्ध है।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	पद नाम	मोबाईल नम्बर
01	श्री पुरुषोत्तम अवरुथी	आयुक्त	8503870359
02	श्री आर.के. सिंह	अधिशायी अभियंता	9829032677
03	श्री नरेन्द्र मिश्रा	सहायक अभियंता	9414991635
04	श्री प्रदीप कुमार घीया	लेखाशाखा प्रभारी, भण्डारण	9414292426

		प्रभारी एवं कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक	
05	श्री नवीन कुमार मीणा	कनिष्ठ अभियंता	8739949456
06	सुश्री अपूर्वा शर्मा	कनिष्ठ अभियंता	9024472306
07	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा	सहायक अग्निशमन अधिकारी	9887309101
08	श्री नन्नू राम	सफाई प्रभारी (प्लेसमेन्ट कर्मचारी)	9887648556

किसी भी प्रकार की आपदा आने पर प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष में सभी प्रभारी अधिकारी/सहयोगी/समस्त सफाई प्रभारी/सैक्टर प्रभारी नियंत्रण कक्ष में तुरन्त एकत्रित होंगे एवं अपने-अपने क्षेत्र में बचाव व राहत कार्य के लिये जावेंगे।

नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन पर सूचना एकत्रित करने के लिए पृथक से कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी। जो एक पंजिका संधारित करेंगे और उसमें प्रत्येक घटना की सही जानकारी अंकित करेंगे तथा कार्य कराये जाने के बाद उसका उल्लेख भी करेंगे।

प्रभारी नियंत्रण कक्ष एवं स्टोर कीपर भी घटना घटित होते ही तुरन्त नियंत्रण कक्ष में आकर आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करेंगे। अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए उक्त कार्य पहले ही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने से संबंधित बिन्दुओं की अनुपालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

आरोक्त,

नगर परिषद भिवाड़ी

दिनांक - 15-06-2016

क्रमांक - सा0प्रशा0/2016/ 7469 - 7475

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01- श्रीमान् सभापति/उपसभापति नगर परिषद, भिवाड़ी।
- 02- श्रीमान् उपशासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
- 03- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
- 04- श्रीमान् उपनिवेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
- 05- श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभारी अधिकारी(सहायता) कलैक्ट्रेट, अलवर।
- 06- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, तिजारा।
- 07- अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियंता/सहायक अग्निशमन अधिकारी/स्टोर कीपर/लेखा लिपिक/सफाई प्रभारी प्लेसमेन्ट कर्मचारी/उपरोक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीयान नगर परिषद भिवाड़ी।

आरोक्त,

नगर परिषद भिवाड़ी